Funds allocation for primary education

*274. SHRI NEERAJ SHEKHAR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of funds allocated, released and utilised during 2017-18, 2018-19 and 2019-20, till date for improvement of primary education in the country, year-wise and State-wise;

(b) the details of the number of sanctioned, current and vacant posts of primary teachers as on date, State-wise; and

(c) the details of vacancies of primary teachers filled during 2019-20 till date, State-wise?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Statement showing State/UT-wise details of allocated/proposed central releases and central share released under Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)/Samagra Shiksha during 2017-18, 2018-19 and current year 2019-20 till date is given in Annexure-I (*See* below).

(b) and (c) The statement showing State/UT-wise details of the number of sanctioned, in position and vacant posts of primary teachers is given in Annexure-II (*See* below).

Education is in the concurrent list of the Constitution. The recruitment, service conditions and deployment of teachers come under the purview of the State/Union Territory (UT) Government. Therefore, terms and conditions of recruitment, salary and service of all teachers are governed and regulated by the concerned State and UT Governments. However, Ministry of Human Resource Development has been requesting all the States and UT Governments for filling-up the vacant posts of teachers and their rational deployment.

Further, the Central Government through the centrally sponsored Scheme of Samagra Shiksha provides assistance to the States and UTs for deployment of additional teachers to maintain appropriate Pupil Teacher Ratio as per the prescribed norms for various levels of schooling.

The recruitment of teachers is a continuous process and the vacancies keep arising due to retirement, resignation and additional requirements on account of enhanced students' strength and opening of new schools.

Annexure-I

State/UT-wise details of funds allocated/proposed central releases and Central share releases during 2017-18, 2018-19 and 2019-20 under SSA and Samagra Shiksha

(₹ in crore)

Sl. No.	State	2017-18 SSA		2018-19 Samagra Shiksha		2019-20 Samagra Shiksha	
		Allocated/ Proposed Central Releases	Central Share Released	Allocated/ Proposed Central Releases	Central Share Released	Allocated/ Proposed Central Releases	Central Share Released (upto 29.02.2020)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Andaman and Nicobar Islands	19.03	19.46	40.74	21.80	47.88	30.94
2.	Andhra Pradesh	706.00	704.31	1101.73	950.97	1294.75	959.84
3.	Arunachal Pradesh	230.00	230.22	361.2	330.49	424.48	333.69
4.	Assam	1236.00	1235.84	1615.04	1570.72	1897.99	1222.66
5.	Bihar	2557.00	2557.97	3126.2	3058.38	3673.91	3156.93
6.	Chandigarh	93.00	92.66	99.37	77.15	116.78	63.71

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Chhattisgarh	675.00	674.77	884.6	882.06	1039.58	1013.23
8.	Dadra and Nagar Haveli	55.00	54.77	47.62	34.62	55.97	38.35
9.	Daman and Diu	10.15	10.39	13.94	6.31	16.38	9.24
10.	Delhi	184.75	109.77	257.52	139.82	302.64	243.10
11.	Goa	8.50	8.63	15.2	13.53	17.87	15.02
12.	Gujarat	646.40	650.46	827.96	670.89	973.02	965.55
13.	Haryana	362.30	363.55	674.07	578.42	792.17	619.07
14.	Himachal Pradesh	308.05	308.74	475.11	432.95	558.35	455.06
15.	Jammu and Kashmir	1538.00	1537.98	1882.24	1717.76	2212.01	625.55
16.	Jharkhand	586.60	589.85	735.21	685.96	864.02	883.22
17.	Karnataka	550.00	548.82	577.84	627.84	679.08	701.54
18.	Kerala	137.00	136.80	206.06	256.05	242.16	214,20
19.	Ladakh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20.	Lakshadweep	4.00	4.07	7.02	2.65	8.25	7.28
21.	Madhya Pradesh	1740.00	1738.14	2406.6	2437.84	2828.24	2460.45
22.	Maharashtra	645.00	642.32	864.72	950.52	1016.22	734.24

23.	Manipur	184.00	183.77	315.68	252.02	370.99	241.85
24.	Meghalaya	340.00	335.80	249.88	237.85	293.65	323.11
25.	Mizoram	124.34	120.00	197.4	146.30	231.98	168.13
26.	Nagaland	117.00	117.17	209.52	197.66	246.23	107.73
27.	Odisha	867.00	866.12	1186.89	1230.22	1394.84	1892.89
28.	Puducherry	7.59	6.23	12.37	8.05	14.54	5.75
29.	Punjab	316.00	316.65	444	444.00	521.79	462.39
30.	Rajasthan	1990.00	1989.73	2717.18	2627.21	3190.76	2911.33
31.	Sikkim	60.70	56.84	100.08	66.24	117.61	88.92
32.	Tamil Nadu	867.00	866.44	1422.51	1474.44	1673.74	1658.97
33.	Telangana	445.00	442.45	719.24	688.40	845.25	1086.35
34.	Tripura	202.00	202.20	295.08	248.96	346.77	234.92
35.	Uttar Pradesh	4250.00	4249.81	4773.1	4625.41	5609.35	4768.13
36.	Uttarakhand	625.00	824.99	888.55	51138	1018.36	508.81
37.	West Bengal	897.00	896.57	1093.65	1089.35	1285.25	1579.05
	TOTAL	23583.41	23494.25	30823.10	29294.24	36222.83	30800.99

Annexure-II

State/UT-wise details of sanctioned, in position and vacant posts of primary teachers up to 2018-19

Sl.No.	State/UT	Sanctioned	In Position	Vacant Posts
1	2	3	4	5
1.	Andaman and Nicobar Islands	3169	2690	479
2.	Andhra Pradesh	148785	134108	14677
3.	Arunachal Pradesh	14245	13567	678
4.	Assam	182439	157250	25189
5.	Bihar	592541	388607	203934
6.	Chandigarh	4284	3852	432
7.	Chhattisgarh	196806	158290	38516
8.	Dadra and Nagar Haveli	1804	1643	161
9.	Daman and Diu	601	385	216
10.	Delhi	49286	42483	6803
11.	Goa	2216	2216	0
12.	Gujarat	217106	213067	4039
13.	Haryana	65446	50074	15372
14.	Himachal Pradesh	45997	44002	1995
15.	Jammu and Kashmir	101301	94232	7069
16.	Jharkhand	191679	111869	79810
17.	Karnataka	203824	189332	14492
18.	Kerala	126382	125011	1371
19.	Lakshadweep	731	681	50
20.	Madhya Pradesh	363099	296576	66523
21.	Maharashtra	324801	304053	20748
22.	Manipur	16167	15801	366

1	2	3	4	5
23.	Meghalaya	22632	21756	876
24.	Mizoram	2228	2193	35
25.	Nagaland	17330	17013	317
26.	Odisha	229006	229006	0
27.	Puducherry	3705	3040	665
28.	Punjab	75805	68218	7587
29.	Rajasthan	314271	277683	36588
30.	Sikkim	8573	8573	0
31.	Tamil Nadu	147913	141902	6011
32.	Telangana	72702	68918	3784
33.	Tripura	35091	30655	4436
34.	Uttar Pradesh	879691	494114	385577
35.	Uttarakhand	46053	39048	7005
36.	West Bengal	454860	388466	66394
	TOTAL	5162569	4140374	1022195

Source: AWP&B-2018-19, Information provided by the States/UTs.

श्री नीरज शेखर: महोदया, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में आया था और उसमें यह कहा गया था कि स्टूडेंट्स-टीचर रेश्यो 30:1 का होगा यानी 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होगा। चूंकि मैं ग्रामीण इलाकों में देखता हूं कि यह रेश्यो बहुत ज्यादा है यानी कई छात्रों के ऊपर एक टीचर है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर स्टूडेंट्स-टीचर का रेश्यो क्या है यानी कितने स्टूडेंट्स पर एक टीचर है?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': उपसभाध्यक्ष महोदया, हालांकि यह राज्यों का विषय है, फिर भी मैं इस पर कुछ बताना चाहता हूं। जब हमने "समग्र शिक्षा अभियान" लिया था, उस समय 2001 से चलने वाली शिक्षा पर राष्ट्र में एक समीक्षा की थी, सर्वेक्षण किया था। उसमें यह सामने आया था कि इसमें बहुत अंतर है और इस अंतर को कम करना चाहिए, इसलिए इस मानक में 30 छात्रों पर एक अध्यापक है। उस समय जब राज्यों ने अधिक मानदंड बनाया हुआ था, उसको कंट्रोल किया गया। इसी आधार पर, एक अनुपात तीस के आधार

[श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक']

पर अतिरिक्त अध्यापक होने थे, उसको सुनिश्चित किया गया, ताकि एक और तीस का मानक बना रहे। इसके लिए केन्द्र सरकार वित्तपोषण भी करती है।

श्री नीरज शेखर: महोदया, हमारी सरकार ने "समग्र शिक्षा कार्यक्रम" की शुरुआत एक अप्रैल, 2018 में की थी। इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए पैसा दिया जाता है। पहले कई बार हमारी छात्राएं शिक्षा छोड़ देती थीं, क्योंकि उनको शौचालय की सुविधा नहीं मिलती थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो केन्द्र पैसा देता है, राज्य उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? क्या आप उनके ऊपर कोई निगरानी रखते हैं?

इसके साथ ही, आप उत्तर प्रदेश के लिए जो अनुदान देते हैं, मैं आग्रह करूंगा कि उसमें बढ़ोतरी करिए। आप करीब 5,000-6,000 करोड़ की राशि देते हैं, वह कम है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा और चाहूंगा कि वे इसमें बढ़ोतरी करें।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': महोदया, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए पूछा है कि जो अवस्थापनाएं हुई हैं, उनमें छात्राओं के लिए क्या विशेष सुविधाएं हैं? मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि इस अभियान के तहत 3.64 लाख नए प्रारंभिक विद्यालय शुरू हुए हैं, स्वीकृति मिली है। 3,12,747 स्कूलों के भवनों का निर्माण हुआ है तथा 18,90,679 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई, 2,40,564 स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था की गई, 10,63,164 शौचालयों का निर्माण किया गया।

महोदया, जहां तक बालिकाओं की शिक्षा का विषय है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूरस्थ क्षेत्र की बालिकाएं भी वंचित न रहें, इसके लिए 4,881 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित हुए हैं, जिनके अंदर इस समय 6,18,000 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। इन बालिकाओं के लिए निशुल्क वर्दी से लेकर, निशुल्क पाठ्यपुस्तक और आत्मरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग बालिकाओं के लिए भी अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। दिव्यांग बालिकाओं के लिए 118 करोड़ अलग हैं, आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए 220 करोड़ हैं, निशुल्क पाठ्यपुस्तक के लिए 250 रुपए से लेकर 400 रुपए तक हैं और निशुल्क वर्दी की भी व्यवस्था है। सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में भी बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत गंभीर है।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: उपसभाध्यक्ष महोदया, हिमाचल प्रदेश को जो दिया है, मैं उसे देख रही थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इसके लिए क्या मापदंड हैं? भारत सरकार किस मापदंड से ये पैसा allot करती है? हिमाचल एक पहाड़ी इलाका है और वहां पर 14,000 की हाइट पर भी स्कूल्स हैं, 15,000 की हाइट पर भी स्कूल्स हैं। उनको देखते हुए मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं किस मापदंड से, किस criteria से ये फंड्स दिए जाते हैं, ये allocation होती है?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': महोदया, ये जो फंड्स दिए जाए हैं, उसके लिए जहां तक हिमाचल की बात है, इसी तरह से उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य हैं। जो नए स्कूल खुलते हैं, उनमें 90 और 10 का रेश्यो होता है, जबकि अन्य प्रदेशों में 60 और 40 के रेश्यो से धनराशि उपलब्ध होती है।

SHRI ANIL DESAI: Madam, the hon. Minister, in his answer, has provided an Annexure also, where fund allocation from the Central Government to the State Governments is given. As far as my State of Maharashtra is concerned, in the year 2019-20, the allocation was ₹ 1016.22 crore and funds released till 29th of February are ₹ 734 crore. So, around 30 per cent deficit is there. May I know from the hon. Minister, through you, Madam, whether this deficit will be made up in the coming days in this year only, or, will it be carried forward?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': यदि आपने सूची में महाराष्ट्र को देखा होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि हमने जो राशि स्वीकृत की है, वह राशि ज्यादा है। महोदया, जब राज्य उसको खर्च करते हैं और अपनी यू.सी. भेजते हैं, तो उसके आधार पर उनको राशि जारी की जाती है। लेकिन, यदि आप महाराष्ट्र को देखें, तो वर्ष 2019-20 के लिए कुल मिलाकर जो स्वीकृत राशि है, उस दिशा में भी आपका जो प्रस्तावित केन्द्रीय भाग है, वह 1,016 करोड़ है। यानी 1,016 करोड़ रुपए तक वे ले सकते हैं, लेकिन वे खर्च नहीं कर रहे हैं। वे जिस दिन भी खर्च करेंगे, उनको 1,016 करोड़ तक की राशि मिलनी ही है। जब वे उसे खर्च नहीं करते हैं, तब वह राशि अगले वर्ष में चली जाती है। महोदया, यह राज्यों के खर्च करने की स्थिति के ऊपर निर्भर है कि वे कितना खर्च करते हैं। ये जितना-जितना खर्च करते हैं, उतना-उतना हम उनको जारी करते हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: मैडम, प्रश्न पूछ गया था कि वर्ष 2019-20 में कितने पद भरे गए हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2019-20 का कोई उत्तर नहीं दिया है। पूरे देश में अध्यापकों के 10,22,195 पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश में यह संख्या 3,85,577 और बिहार में 2,03,934 है। सबसे ज्यादा रिक्त पद उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। माननीय मंत्री जी, आप "पढ़ें बेटियां, बढ़ें बेटियां" का नारा देते हैं, लेकिन जब अध्यापक ही नहीं होंगे, तो फिर वे कैसे पढ़ पाएंगी? महोदया, कहीं पर एकल विद्यालय चल रहे हैं, तो कहीं पर अध्यापक-विहीन विद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में ऐसे तमाम विद्यालय हैं, जहां अध्यापक नहीं हैं और वे केवल शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र पिछली गवर्नमेंट में नियुक्त किए गए थे, क्या उनको आप नियमित करेंगे? देश में शिक्षकों के 10 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। अगर आप वर्ष 2019-20 में देखेंगे, तो ये और भी ज्यादा

[श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक']

होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी कोई एडवाइज़री जारी करेंगे कि इन पदों को शीघ्र भरा जाए, ताकि स्कूलों में बच्चे पढ़ सकें?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': महोदया, जहां तक वर्ष 2019-20 की बात है, तो मैं बताना चाहता हूं कि यह चालू वर्ष है। नीतियों की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रियाधीन होती है, इसीलिए उसका आंकड़ा यहां पर उपलब्ध नहीं हुआ। जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा कि विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों पद रिक्त हैं, तो यह बात सही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह विषय राज्यों का है, तो यह राज्यों के अधीन है कि वे अपने यहां अध्यापकों की नियुक्ति करें। इस दिशा में समय-समय पर केन्द्र सरकार दिशा-निर्देश जारी करती रही है। हां, उनको उस अनुपात में जो भी मदद की आवश्यकता है, जब भी वे अपने प्रदेश में नियुक्तियां करेंगे, तो निश्चित अनुपात में केन्द्र को उनको मदद के लिए जो देना है, उसमें केन्द्र कभी भी पीछे नहीं हटेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): प्रश्न संख्या 275।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुई क्षति के लिए मुआवजा

***275. श्री जावेद अली खान**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने 1 दिसंबर को उसके पुस्तकालय में दिल्ली पुलिस द्वारा पहुंचाई गई क्षति के लिए मुआवजे हेतु सरकार को 2.66 करोड़ रुपये का आकलन भेजा है;

(ख) क्या सरकार जामिया को उक्त राशि का भुगतान करने पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) ने दिनांक 15 दिसंबर, 2019 को कैंपस में हुई हिंसा के संबंध में सम्पत्ति की क्षति की सूचना दी है। तथापि पुनर्निर्माण के पश्चात् 11 मार्च को विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय को छात्रों के लिए खोल दिया गया है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को यूजीसी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विश्वविद्यालय सांविधिक स्वायत संगठन हैं और सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक निर्णय सांविधिक निकायों जैसे कार्यकारी परिषद् और शैक्षणिक परिषद्